न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–4, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी

<u>दांड़िक पुनरीक्षण क्रमांक 69 सन् 2016</u>
<u>(सी.आई.एस.नं.02/2016)</u>

रमेश भाई मीणा पिता मणीलाल मीणा आयु 35 वर्ष निवासी गांव पीपली तह. ऋषभदेव जिला उदयपुर।

– निगरानीकर्ता/प्रार्थी।

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, उदयपुर – विपक्षी/अभियोगी।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम वर्ग नं.1(उत्तर) उदयपुर में संस्थित मु.फो.प्रकरण संख्या 368ए/2016 में पीठासीन अधिकारी सुश्री दीपिका सिंह,आर.जे.एस.द्वारा दिनांक 30.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी

<u>उपस्थितिः</u>
श्री रोहित कंठालिया, अधिवक्ता–निगरानीकर्ता/प्रार्थी।
श्री अशोक सिंघवी, अपर लोक अभियोजक–विपक्षी की ओर से

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 11.01.2017

1– उपर्युक्त निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से यह निगरानी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग नं.1(उत्तर),उदयपुर के मु.फौ. प्रकरण सं.368ए /2016 में पारित आदेश दिनांक 30.11.16 के विरूद्व दिनांक 19.12.16 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय,उदयपुर में प्रस्तुत की गई,जो अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई जिस पर नि.फौ. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। आक्षेपित आदेश के द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से जब्तशुदा वाहन महिद्रा जीप सं. जीजे–10एफ–1352 को सुपुर्दगी पर दिए जाने हेतु धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

2– उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा संबंधित पत्रावली तलब कर आक्षेपित आदेश व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3– दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क यह रहा है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता के निजी स्वामित्व के वाहन महेन्द्रा जीप सं. जीजे–1.एएफ–1352 को आरटीओ द्वारा जब्त किया गया है और अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। जबकि उसके वाहन की जितनी क्षमता है उससे कम सवारिया उसमें बैठी हुई थी तथा इस पर कोई कर भी बकाया नहीं था क्योंकि यह वाहन व्यावसायिक रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था। जबकि पंचनामा जो बनाया गया है उसमें भी वाहन का व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना एवं उस पर कर बकाया होना बताया है। लेकिन यह साक्ष्य का तथ्य है। इस स्टेज पर जब्तशुदा वाहन का प्रार्थी/निगरानीकर्ता रजिस्टर्ड मालिक है और अंत में उक्त वाहन को निगरानीकर्ता को सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

4— योग्य अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई कार्यवाही लंबित नही है और वाहन मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अनुसार वाहन को छोडने की अधिकारिता संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के पास नही है,इसलिए जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है वह विधिअनुसार है। अंत में निगरानी खारिज किए जाने की प्रार्थना की है।

5— मैंने उक्त तर्को पर विचार किया तथा संबंधित पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया।

6— निगरानी याचिका के मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का औचित्य तभी बनता है,जबकि आक्षेपित आदेश अवैध,अशुद्व एवं अनुचित हो। अब हमें यह देखना है कि क्या आक्षेपित आदेश ऐसा है,जिसमें कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का औचित्य बनता है?

7— इस संबंध में हम सर्व प्रथम यहां धारा 451दं.प्र.सं. व 457 दं.प्र.सं. का उल्लेख किया जाना उचित पाते है,क्योंकि इन्हीं प्रावधानों के तहत प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

धारा 451दं.प्र.सं. के प्रावधान ऐसी स्थिति में लागू होते है जहां पर कोई सम्पत्ति किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है तब वह न्यायालय उस जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश,जैसा वह ठीक समझें,कर सकता है।

इस धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि धारा 451दं.प्र.सं. के प्रावधान केवल उस स्थिति में लागू होते है जब कोई सम्पत्ति किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है,किन्तु इस प्रकरण में जिस वाहन की सुपुर्दगी का आवेदन निगरानीकर्ता द्वारा पेश किया गया है उसकी जप्ती की सूचना न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाना बताया है और न ही इससे संबंधित कोई जांच या विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित होना बताया गया है।

इसी प्रकार धारा 457दं.प्र.सं. के प्रावधान उसी स्थिति में लागू होते है जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उप बंधो के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के व्ययन के,उस पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति परिदान किए जाने के संबंध में या ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा और पेश किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकता है जो वह ठीक समझें।

इस प्रकरण में स्वंय न्यायालय के समक्ष दौराने बहस आर.टीओ उपस्थित थे जिन्होने यह स्वीकार किया है कि उन्होने जप्ती की कोई सूचना न्यायालय को नही भेजी है और न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित नही है। अतः धारा

451 व 457दं.प्र.सं. के प्रावधान,जिनके तहत यह आवेदन निगरानीकर्ता द्वारा पेश किया गया है वह इस मामलें में इस स्टेज पर आकृष्ट होने प्रकट नहीं होते है।

योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता का यह तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका आवेदन मोटर कराधान अधिनियम में वाहन को सुपुर्दगी पर छोडने की अधिकारिता नहीं पाते हुए खारिज किया गया है। जबकि जब्तशुदा वाहन पर कोई कर बकाया नहीं था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30.11.16 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय नेयह मत व्यक्त किया है कि कार्यवाही पंचनामा के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उपरोक्त वाहन को उसकी क्षमता से अधिक सवारियां भरने के अपराध में आर.टी.ओ. द्वारा वाहन को जब्त किया गया है,जिस पर विशेष पथ कर बकाया है,जिसके संबंध में कोई रसीद न्यायालय में पेश नहीं की गई है। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में चालक के द्वारा नौ सवारी भरने जो कि क्षमता से अधिक नहीं हो इस बाबत कोई सबूत पेश नही किया है। कराधान संबंधी मामलों में क्षेत्राधिकारिता नहीं पाते हुए आवेदन खारिज किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उस पर हम यह मत व्यक्त किया जाना समीचीन पाते है कि यह तथ्य केवल साक्ष्य का मौहताज है कि वक्त जब्ती कितनी सवारिया वाहन में थी और क्या वे क्षमता से अधिक थी या नहीं,क्योंकि पंचनामे में उल्लेखित तथ्यों से प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने बहस के दौरान इन्कार किया है और टैक्स के बारे में योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता का यह तर्क रहा है कि उनका वाहन निजी वाहन है,जिसका टैक्स एक ही बार में दिया जाता है और व्यावसायिक कार्य के लिए उक्त वाहन का प्रयोग नही किया जा रहा था। जबकि जब्ती के अनुसार वाहन का व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग में लिया जाना बताया गया है। हमारी विनम्र राय में यह तथ्य केवल साक्ष्य का मौहताज है लेकिन इस स्टेज पर जहां कि कोई कार्यवाही या जांच न्यायालय के समक्ष लंबित ही नहीं है और ना ही वाहन के जब्ती की किसी प्रकार की कोई सूचना संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को ही दी गई है तो ऐसी स्थिति में धारा 451,457दं.प्र.सं. के प्रावधान इस प्रक्रम पर आकृष्ट नही होने से यह प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर पोषणीय ही नहीं पाया जाता है।

यद्यपि हम इस तर्क से सहमत है कि धारा 15,16,17 मोटर यान कराधान अधिनियम 1951 के तहत कर बकाया होने के कारण जब्त किए गए वाहनो को सुपुर्दगी पर छोडने की अधिकारिता केवल केवल जिला परिवहन अधिकारी में निहित है तथा सिविल एवं फौजदारी न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है। इस प्रकरण में चूंकि प्रार्थी ने वाहन का कोई टैक्स बकाया होने से इन्कार किया है लेकिन यह तथ्य भी साक्ष्य का मौहताज है और चूंकि न्यायालय के समक्ष उक्त वाहन बाबत कोई कार्यवाही लंबित नही है और न ही जब्ती की कोई सूचना न्यायालय को दिया जाना बताया गया है।ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में यह आवेदन पोषणीय होना नहीं माना जा सकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा कोई भी आवेदन आर.टी.ओ. के समक्ष वाहन सुपुर्दगी बाबत प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया गया है। जबकि न्यायालय के समक्ष इस वाहन बाबत कोई मामला लंबित नही है और

नही जब्ती की सूचना देना बताया गया है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचना की रोशनी में निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य पायी जाती है।

8— परिणामतः निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9— निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलंब लौटा दी जावे।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम—4, उदयपुर

10— यह आदेश आज दिनांक 11.01.2017 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम—4, उदयपुर